

Regarding implementation of domicile laws

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : धन्यवाद सभापति महोदया । मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने लक्षद्वीप रिमोट एरिया में वर्ष 2021 में अंडर आर्टिकल - 16 (4) में डोमिसाइल लॉ बनाया और 40 साल की उम्र तक एज रिलेक्सेशन दिया । मैं मांग करूंगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी यह कानून लागू किया जाए, क्योंकि अंडमान-निकोबार रिमोट बैकवर्ड एरिया में आ रहा है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान के माध्यम से आर्टिकल - 14 के माध्यम से लक्षद्वीप की तरह 40 साल की उम्र तक एज रिलेक्सेशन दें और यूनियन टेरिटरी के नाते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी डोमिसाइल लॉ लागू करें । जय हिन्द ।